

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा

2009 क्रमांक / / शिक्षा / जिपं / संशाशि-2 / 09-10 हरदा, दिनांक अक्टूबर

प्रति,

.....  
.....  
.....

द्वितीय काउन्सिलिंग

विषय:-जिला स्तर पर एकीकृत काउन्सिलिंग के माध्यम से संविदा नियुक्ति ।  
संदर्भ:- म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक  
एफ-1-1/09/20-1 भोपाल दिनांक 2.01.2009 ।

-00-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के नियोजन हेतु जिला स्तर एकीकृत काउन्सिलिंग के माध्यम नियुक्ति एवं संविदा की जाना है ।

अंतिम चयन सूची के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय की वरिष्ठता क्रम में आपका अंतिम चयन किया गया है । अतः आप काउन्सिलिंग हेतु **दिनांक 14.10.2009 दिन बुधवार को प्रातः 11.00 बजे** मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला पंचायत हरदा में उपस्थित हों, निर्धारित दिनांक, समय पर मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित नहीं होने की दशा में वरिष्ठता क्रम के अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जावेगा ।

उपरोक्तानुसार अंकित निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने पर आपका नाम अंतिम चयन सूची से हटा दिया जावेगा एवं आपकी दावेदारी समाप्त की जावेगी । जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत हरदा

पृ.क्रमांक / / शिक्षा / जिपं / संशाशि-2 / 09-10  
प्रतिलिपि:-

हरदा दिनांक अक्टूबर 2009

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कलेक्टर महोदय जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला हरदा की ओर लेख है कि आप दिनांक 14.10.2009 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय जिला पंचायत हरदा में काउन्सिलिंग हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत हरदा

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा

क्रमांक / / शिक्षा / जिपं / संशाशि-2 / 09-10

हरदा दिनांक

अक्टूबर 2009

प्रति,

.....  
.....  
.....

r`rh; dkmfUlfyax

विषय:-जिला स्तर पर एकीकृत काउन्सिलिंग के माध्यम से संविदा नियुक्ति ।

संदर्भ:- म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-1-1/09/20-1 भोपाल दिनांक 2.01.2009 ।

-00-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के नियोजन हेतु जिला स्तर एकीकृत काउन्सिलिंग के माध्यम नियुक्ति एवं संविदा की जाना है ।

अंतिम चयन सूची के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय की वरिष्ठता क्रम में आपका नाम प्रतीक्षा सूची में है । अतः आप तृतीय काउन्सिलिंग हेतु दिनांक 14.10.2009 दिन बुधवार को प्रातः 11.00 बजे मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला पंचायत हरदा में उपस्थित होवे । यदि द्वितीय काउन्सिलिंग में बुलाये गए अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके स्थान पर आपको अवसर दिया जावेगा । यदि द्वितीय काउन्सिलिंग वाला अभ्यर्थी उपस्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में आपकी किसी भी प्रकार की दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी । निर्धारित दिनांक समय पर उपस्थित नहीं होने की दशा में वरिष्ठता क्रम के अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जावेगा ।

उपरोक्तानुसार अंकित निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने पर आपका नाम प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जावेगा एवं आपकी दावेदारी समाप्त की जावेगी । जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत हरदा

पृ.क्रमांक / / शिक्षा / जिपं / संशाशि-2 / 09-10

हरदा दिनांक

अक्टूबर 2009

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कलेक्टर महोदय जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला हरदा की ओर लेख है कि आप दिनांक 14.10.2009 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय जिला पंचायत हरदा में काउन्सिलिंग हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत हरदा

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा

क्रमांक / / शिक्षा / जिपं / संशाशि-2 / 09-10

हरदा दिनांक

अक्टूबर 2009

प्रति,

.....  
.....  
.....

prqFkZ dkmfUlfyax

विषय:-जिला स्तर पर एकीकृत काउन्सिलिंग के माध्यम से संविदा नियुक्ति ।

संदर्भ:- म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-1-1/09/20-1 भोपाल दिनांक 2.01.2009 ।

-00-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के नियोजन हेतु जिला स्तर एकीकृत काउन्सिलिंग के माध्यम नियुक्ति एवं संविदा की जाना है ।

अंतिम चयन सूची के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय की वरिष्ठता क्रम में आपका नाम प्रतीक्षा सूची में है । अतः आप चतुर्थ काउंसिलिंग हेतु दिनांक 14.10.2009 दिन बुधवार को प्रातः 11.00 बजे मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला पंचायत हरदा में उपस्थित होवे । यदि तृतीय काउन्सिलिंग में बुलाये गए अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके स्थान पर आपको अवसर दिया जावेगा । यदि तृतीय काउन्सिलिंग वाला अभ्यर्थी उपस्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में आपकी किसी भी प्रकार की दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी । निर्धारित दिनांक समय पर उपस्थित नहीं होने की दशा में वरिष्ठता क्रम के अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जावेगा ।

उपरोक्तानुसार अंकित निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने पर आपका नाम प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जावेगा एवं आपकी दावेदारी समाप्त की जावेगी । जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत हरदा

पृ.क्रमांक / / शिक्षा / जिपं / संशाशि-2 / 09-10

हरदा दिनांक

अक्टूबर 2009

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कलेक्टर महोदय जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला हरदा की ओर लेख है कि आप दिनांक 14.10.2009 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय जिला पंचायत हरदा में काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत हरदा

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा

क्रमांक / / शिक्षा / जिपं / संशाशि-2 / 09-10

हरदा दिनांक

अक्टूबर 2009

प्रति,

.....  
.....  
.....

ikapoha dkmfUlfyax

विषय:-जिला स्तर पर एकीकृत काउन्सिलिंग के माध्यम से संविदा नियुक्ति ।

संदर्भ:- म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-1-1/09/20-1 भोपाल दिनांक 2.01.2009 ।

-00-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के नियोजन हेतु जिला स्तर एकीकृत काउन्सिलिंग के माध्यम नियुक्ति एवं संविदा की जाना है ।

अंतिम चयन सूची के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय की वरिष्ठता क्रम में आपका नाम प्रतीक्षा सूची में है । अतः आप पांचवीं काउन्सिलिंग हेतु दिनांक 14.10.2009 दिन बुधवार को प्रातः 11.00 बजे मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला पंचायत हरदा में उपस्थित होवे । यदि चतुर्थ काउन्सिलिंग में बुलाये गए अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके स्थान पर आपको अवसर दिया जावेगा । यदि चतुर्थ काउन्सिलिंग वाला अभ्यर्थी उपस्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में आपकी किसी भी प्रकार की दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी । निर्धारित दिनांक समय पर उपस्थित नहीं होने की दशा में वरिष्ठता क्रम के अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जावेगा ।

उपरोक्तानुसार अंकित निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने पर आपका नाम प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जावेगा एवं आपकी दावेदारी समाप्त की जावेगी । जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत हरदा

पृ.क्रमांक / / शिक्षा / जिपं / संशाशि-2 / 09-10

हरदा दिनांक

अक्टूबर 2009

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कलेक्टर महोदय जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला हरदा की ओर लेख है कि आप दिनांक 14.10.2009 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय जिला पंचायत हरदा में काउन्सिलिंग हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत हरदा

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत हरदा

क्रमांक / / शिक्षा / जिपं / संशाशि-2 / 09-10

हरदा दिनांक

अक्टूबर 2009

प्रति,

.....  
.....  
.....

**NVoha dkmfUlfyax**

विषय:-जिला स्तर पर एकीकृत काउन्सिलिंग के माध्यम से संविदा नियुक्ति ।

संदर्भ:- म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-1-1/09/20-1 भोपाल दिनांक 2.01.2009 ।

-00-

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के नियोजन हेतु जिला स्तर एकीकृत काउन्सिलिंग के माध्यम नियुक्ति एवं संविदा की जाना है ।

अंतिम चयन सूची के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय की वरिष्ठता क्रम में आपका नाम प्रतीक्षा सूची में है । अतः आप छटवीं काउन्सिलिंग हेतु **दिनांक 14.10.2009 दिन बुधवार को प्रातः 11.00 बजे** मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला पंचायत हरदा में उपस्थित होवे । यदि पांचवीं काउन्सिलिंग में बुलाये गए अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके स्थान पर आपको अवसर दिया जावेगा । यदि पांचवीं काउन्सिलिंग वाला अभ्यर्थी उपस्थित होता है, तो ऐसी स्थिति में आपकी किसी भी प्रकार की दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी । निर्धारित दिनांक समय पर उपस्थित नहीं होने की दशा में वरिष्ठता क्रम के अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जावेगा ।

उपरोक्तानुसार अंकित निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने पर आपका नाम प्रतीक्षा सूची से हटा दिया जावेगा एवं आपकी दावेदारी समाप्त की जावेगी । जिसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत हरदा

पृ.क्रमांक / / शिक्षा / जिपं / संशाशि-2 / 09-10

हरदा दिनांक

अक्टूबर 2009

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. कलेक्टर महोदय जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला हरदा की ओर लेख है कि आप दिनांक 14.10.2009 को प्रातः 11.00 बजे कार्यालय जिला पंचायत हरदा में काउन्सिलिंग हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत हरदा